

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 141.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी (समूह 'क' पद) संशोधन भर्ती नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी (समूह 'क' पद), संशोधन भर्ती नियम, 2021 कि अनुसूची में:-
स्तंभ (7) में हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/01/2014-एमएच II]

अभिषेक पाण्डे, अवर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 34, दिनांक 12 मार्च, 2021 को द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 30th September, 2024

G.S.R. 141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Medical Physicist (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2021, namely:

- Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Medical Physicist (Group 'A' Post) Amendment Recruitment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Medical Physicist (Group 'A' post), Recruitment, Amendment, Rules, 2021-
In the Schedule, -
In column (7), for the letters and word "M. Sc. Diploma" the following shall be substituted, namely: - "Post M. Sc. Diploma".

[F. No. A-12018/01/2014-MH II]

ABHISHEK PANDEAY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub - Section (i), *vide* notification number G.S.R. 34, dated the 12th March, 2021.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 142.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में व्यावसायिक चिकित्सक (समूह 'ख' पद) भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में व्यावसायिक चिकित्सक (समूह 'ख' पद) संशोधित भर्ती नियम, 2024 है।

<p>necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p>Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel:</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note2.- The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

[F. No. - A-12018/1/2017-Ad.III]

PREM KUMAR MANDAL, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा भौतिक विज्ञानी	2* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचित्वीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपए)	लागू नहीं होता	35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला

				का पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<p>आवश्यक अर्हता:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोलॉजिकल या चिकित्सा भौतिकी में पोस्ट एम.एससी डिप्लोमा और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान के सुसज्जित रेडियेशन थेरेपी विभाग में न्यूनतम 12 मास की इंटरशिप। या</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में डिग्री जिसमें भौतिकी एक मुख्य विषय के रूप में हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रेडियोलॉजिकल या चिकित्सा भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त सुसज्जित रेडियेशन थेरेपी विभाग में न्यूनतम 12 मास की इंटरशिप।</p> <p>वांछनीय अर्हता: भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के विकिरण भौतिकी और</p>	लागू नहीं होता	एक वर्ष	<p>100% सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपए) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100) में पदों पर दो वर्ष की नियमित सेवा हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण: 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता

परामर्श प्रभाग द्वारा संचालित विकिरण संरक्षा अधिकारी परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	--	--	---	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी: 1. संयुक्त सचिव (अस्पताल), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उपमहानिदेशक - सदस्य; 3. निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली - सदस्य; 4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए. 12018/01/2014-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Physicist in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Medical Physicist (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person, --
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen

and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Physicist	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial	Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty-five years of age. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government. Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential Qualification: (i) Post Graduate degree in Physics from a recognised University or institution with M.Sc. Diploma in Radiological or Medical Physics from a recognised University or institution and an internship of minimum twelve months in a recognised well equipped Radiation Therapy Department of a recognised institution. Or (ii) Degree in Science from a recognised University with Physics as one of the main subjects with post graduate degree in Radiological or Medical Physics from a recognised University and an internship of minimum twelve months in a recognised well equipped Radiation Therapy Department. Desirable Qualification : Successful completion of Radiological Safety Officer Examination conducted by Radiological Physics and Advisory Division, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made
(9)	(10)	(11)
One year	100 per cent, by direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :	Not applicable.

	<p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years regular service in posts in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100); and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of :</p> <p>1. Joint Secretary (Hospital), Ministry of Health and Family Welfare -Chairman;</p> <p>2. Deputy Director General incharge of Medical Hospital Division, Directorate General of Health Services, New Delhi. -Member;</p> <p>3. Director, Lady Hardinge Medical College , New Delhi -Member;</p> <p>4. Head of Radiology department , Lady Hardinge Medical College , New Delhi -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary.</p>

[F. No. A-12018/01/2014- MH-II)

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफ़रदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य सफ़ाई अधीक्षक, (समूह 'ग') भर्ती नियम 1996 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़रदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मुख्य सफ़ाई अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़रदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य सफ़ाई अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

		promotion. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
--	--	---

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman; 2. Head of the concerned department, Safdarjang Hospital -Member; 3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[A.12018/18/2016-MH II]
PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 200.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में व्यावसायिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, व्यावसायिक चिकित्सक, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
व्यावसायिक चिकित्सक	02* (दो) 2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक की डिग्री;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में व्यावसायिक चिकित्सक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान (भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान) के साथ बारहवीं कक्षा पास।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक चिकित्सा में दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा; और</p>	<p>आयु: लागू नहीं होता।</p> <p>शैक्षिक अर्हताएँ: लागू नहीं होता।</p>	दो वर्ष।	<p>100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेंगी जो-</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स</p>

(iii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में व्यावसायिक चिकित्सक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।			के स्तर-5 (29200-92300 रुपए) में पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।
--	--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक कार्य देख रहे उपनिदेशक - सदस्य; 4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के उपनिदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता

[ए.11018/34/2019-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव,

New Delhi, the 14th December, 2020

G.S.R. 200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, The President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Occupational Therapist, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Occupational Therapist, (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Occupational Therapist	2*(2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'	Level-6 in the pay matrix (35400-112400)	Not applicable	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelors degree in Occupational Therapy from recognised University	Age: Not applicable. Educational qualifications: Not applicable.	Two years	100 per. cent by direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on

or institute. (ii) Two years experience as Occupational Therapist in a Government hospital or institute. Or (i) 12 th class pass with Science (Physics, Chemistry and Biology) from a recognised Board or institute. (ii) Diploma of two years duration in Occupational Therapy from a recognised University or institute. (iii) Three years experience as a Occupational Therapist in a recognised hospital or institute.			deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a)(i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with six years regular service in posts in level -5 in the pay matrix(29200 - 92300) ; and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column number (7).
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Head of the Neurology Department, Lady Hardinge Medical College -Member; 3. Deputy Director in Directorate general of health services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College -Member; 4. Deputy Director of Lady Hardinge Medical College-Member.	Consultation with UPSC is not necessary.

[A.11018/34/2019-MH II]
PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 201.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, मनोवैज्ञानिक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।